

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2025—अश्विन 18, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अगस्त 2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग तथा अति. प्रभार आबकारी आयुक्त को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग.

बेवरेजेस कॉर्पोरेशन, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कॉर्पोरेशन, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अक्टूबर 2025

File No. Rule/96/2025-PRD.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 के नियम-5 अनुसार छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का गठन निम्नानुसार करता है :—

स. क्र.	सदस्यों का नाम
1.	श्री हिमांशु द्विवेदी-प्रधान सम्पादक, हरिभूमि, रायपुर
2.	श्री यशवंत गोहिल-संपादक (डिजीटल) दैनिक भास्कर, रायपुर
3.	श्रीमती रश्मि डोलिया-वरिष्ठ संवाददाता, टाइम्स ऑफ इंडिया, रायपुर
4.	श्री सुशील अग्रवाल-सिटी चीफ क्रानिकल, रायपुर
5.	श्री अजयभान सिंह-वरिष्ठ पत्रकार, रायपुर
6.	श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी-कार्यकारी संपादक विस्तार न्यूज, रायपुर
7.	श्री विश्वेश ठाकरे-सम्पादक, IBC-24 टी.वी. चैनल, रायपुर
8.	श्री संजीव गुप्ता-राज्य ब्यूरो प्रमुख, पी.टी.आई., रायपुर
9.	श्री विजय त्रिपाठी-संपादक, जशपुरांचल, जशपुर
10.	श्री मनीष गुप्ता-स्थानीय संपादक, पत्रिका, जगदलपुर
11.	श्री सुनील गुप्ता-स्थानीय संपादक, नई दुनिया, बिलासपुर

2. छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अक्टूबर 2025

File No. Rule/8/29/2025-PRD.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम, 2019 के नियम 5 अनुसार राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों का निम्नानुसार गठन करता है :—

स. क्र.	राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति
1.	श्री राजेश जोशी, संपादक, नवभारत, रायपुर
2.	श्री सतीश श्रीवास्तव, संपादक, नई दुनिया, रायपुर
3.	श्री हर्ष पांडेय, स्थानीय संपादक, भास्कर रायपुर
4.	श्री अरूण उपाध्याय, संपादक, स्वदेश, बिलासपुर
5.	श्री अनिल रतेरिया, सम्पादक, इस्पात टाइम्स, रायगढ़
6.	श्री पवन दुबे प्रधान, सम्पादक, चैनल इंडिया, जगदलपुर
7.	श्री सूरज बुद्धदेव, सम्पादक, दैनिक दावा, राजनांदगांव
8.	श्री जी. पी. तिवारी, सम्पादक, अम्बिकावाणी, अम्बिकापुर
9.	श्री अभिषेक शुक्ला, समाचार संपादक, न्यूज 18, रायपुर
10.	श्री मोहन तिवारी, संवाददाता, TV-24 रायपुर

स. क्र. संभागीय अधिमान्यता समिति, रायपुर

1. श्री प्रवीण पाठक, वरिष्ठ संवाददाता, नवभारत, रायपुर
2. डॉ. राकेश पाण्डेय, विशेष संवाददाता, दैनिक भास्कर, रायपुर
3. श्री आशीष तिवारी, स्थानीय संपादक, लल्लूराम डॉटकाम, रायपुर
4. श्री नीरज बाजपेयी, जिला प्रतिनिधि, नवभारत, बलौदाबाजार
5. श्री जितेन्द्र सतपथी, जिला प्रतिनिधि, पत्रिका, महासमुन्द
6. श्री गोरेलाल सिन्हा, जिला प्रतिनिधि, हरिभूमि, गरियाबंद
7. श्री विशाल सिंह ठाकुर, संवाददाता, विजन न्यूज सर्विस, धमतरी
8. श्री वरूण श्रीवास्तव, सहकार्यकारी संपादक, आईबीसी 24, रायपुर
9. डॉ. अवधेश मिश्रा, स्थानीय संपादक, बी.एस.टी.वी., रायपुर

स. क्र. संभागीय अधिमान्यता समिति, दुर्ग

1. श्री सुनील गुप्ता, संपादक, चिंतक, दुर्ग
2. श्री टी. सूर्यराव, ब्यूरो प्रभारी, नई दुनिया, दुर्ग
3. ओम दुवानी, संवाददाता, हरिभूमि, बालोद
4. श्री अशोक पाण्डेय, संपादक, नादगांव टाइम्स, राजनांदगांव
5. श्री शशांक तिवारी, सहसंपादक, सबेरा संकेत, राजनांदगांव
6. श्री अवधेश त्रिपाठी, ब्यूरोचीफ, नवभारत, मोहला-मानपुर-चौकी
7. श्री ईश्वर कुम्भकार, ब्यूरोचीफ, स्वतंत्र स्वर, कबीरधाम
8. श्री आनंद ओझा, संवाददाता, INH-24 टी.वी. चैनल, दुर्ग
9. श्री राहुल साहू, संवाददाता, बंसल न्यूज टी.वी. चैनल, बेमेतरा

स. क्र. संभागीय अधिमान्यता समिति, बिलासपुर

1. श्री ढाल सिंह पारधी, सम्पादक, पत्रिका, बिलासपुर
2. श्री देवेन्द्र गोस्वामी, संपादक, नवभारत, बिलासपुर
3. श्री मनोज ब्यास, उप संपादक, दैनिक भास्कर, बिलासपुर
4. श्री आनंद शर्मा, ब्यूरोचीफ, दैनिक भास्कर, रायगढ़
5. श्री हेमंत थवाइट, संपादक, केलोप्रवाह, रायगढ़
6. श्री कृष्ण कुमार राठौर, ब्यूरो प्रमुख, छत्तीसगढ़ वॉच, कोरबा
7. श्री ज्ञानचंद शर्मा, संवाददाता, हरिभूमि, मुंगेली
8. श्री सन्दीप करिहार, वरिष्ठ संवाददाता, INH न्यूज टी.वी. चैनल, बिलासपुर
9. श्री प्रशान्त सिंह, संवाददाता, न्यूज 24 टी.वी. चैनल, जांजगीर

स. क्र. संभागीय अधिमान्यता समिति, सरगुजा

1. श्री अनंगपाल दीक्षित, ब्यूरो प्रमुख, नई दुनिया, अम्बिकापुर
2. श्री विकास पाण्डेय, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, जशपुर
3. श्री सतीश गुप्ता, ब्यूरो चीफ, नवभारत, बलरामपुर
4. श्री उपेन्द्र दुबे, ब्यूरो चीफ, अम्बिकावाणी, सूरजपुर
5. श्री प्रवीन्द्र सिंह, ब्यूरोचीफ, हरिभूमि, कोरिया
6. श्री योगेश चंद्र, संवाददाता, पत्रिका, कोरिया
7. श्री रवीन्द्र थवाइट, ब्यूरोचीफ, नई दुनिया, जशपुर
8. श्री रमेश शर्मा, संवाददाता, IBC-24 टी.वी. चैनल, जशपुर
9. श्री दीपक सिंह, संवाददाता, न्यूज 18, टी.वी. चैनल, जशपुर

स. क्र.	संभागीय अधिमान्यता समिति, बस्तर
1.	श्री विश्वरूप बोस, सम्पादक, दण्डकारण्य, समाचार, जगदलपुर
2.	श्री सुरेश रावल, ब्यूरोचीफ, हरिभूमि, जगदलपुर
3.	श्री विनोद सिंह, संपादक, बस्तर इम्पैक्ट, दन्तेवाड़ा
4.	श्री अभिषेक बैनर्जी, ब्यूरोचीफ, नवभारत, नारायणपुर
5.	श्री दीपक शर्मा, ब्यूरोचीफ, नवप्रदेश, कांकेर
6.	श्री राजेश शर्मा, ब्यूरोचीफ, दैनिक भास्कर, कांकेर
7.	श्री श्याम करकू, ब्यूरोचीफ, हरिभूमि, बीजापुर
8.	श्री विकास तिवारी, संवाददाता, एनडीटीव्ही (म.प्र.छ.ग.), जगदलपुर
9.	श्री नरेश मिश्रा, वरिष्ठ संवाददाता, IBC-24 टी.वी. चैनल, जगदलपुर

2. छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता समिति का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष होगा तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्रमांक/432 क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	सकराली प.ह.नं. 28	8.832	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.-1, खरसिया, जिला-रायगढ़	साराडीह बैराज के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.